

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:—प्र02/सा0बि0पा0डि0कं0लि0—04/2014

पटना, दिनांक—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के वितरण प्रणाली के शक्ति उपकेन्द्रों (पी0एस0एस0) के विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्रॉन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं ट्रॉन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार करने की 67.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष राशि 17.92 करोड़ (सत्रह करोड़ बानवे लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्य में विद्युत आपूर्ति में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति करने हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के शक्ति उपकेन्द्र में स्थापित विभिन्न क्षमता के पावर ट्रॉन्सफार्मरों के खराब/दोष पूर्ण होने की स्थिति में ससमय बदलने एवं भविष्य में न्यूनतम 5 एम0भी0ए0 क्षमता के ट्रॉन्सफार्मर ही शक्ति उपकेन्द्र में स्थापित किये जाने के लक्ष्य को पूरा करने वित्तीय वर्ष 2014-15 में 67.92 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु 10.00 करोड़ रुपये राज्यादेश संख्या 5233 दिनांक 09.12.2014 के द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को प्रदान की गई है। विभागीय राज्यादेश संख्या 1720 दिनांक 22.06.2015 के द्वारा 10.00 करोड़ रुपये, विभागीय राज्यादेश संख्या 1913 दिनांक 08.07.2015 के द्वारा 15.00 करोड़ रुपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या 2185 दिनांक 29.07.2015 के द्वारा 15.00 करोड़ रुपये अर्थात् कुल राशि 50.00 करोड़ रुपये इस योजना के कार्यान्वयन हेतु साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है तथा शेष राशि 17.92 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

2. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के वितरण प्रणाली के शक्ति उपकेन्द्रों (पी0एस0एस0) के विभिन्न क्षमताओं के पावर ट्रॉन्सफार्मरों को खराब होने पर ससमय बदलने एवं ट्रॉन्सफार्मरों की क्षमता विस्तार करने की 67.92 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष राशि 17.92 करोड़ (सत्रह करोड़ बानवे लाख) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय—उप मुख्य शीर्ष—05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष—789—अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष—0102— साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, माँग सं0—10, विपत्र कोड—10—4801057890102 विषय शीर्ष 5401—निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।
5. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०2/सा०बि०पा०डि०क०लि०-04/2014 के पृष्ठ संख्या-06/टि० पर दिनांक-02.12.2014 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०2/सा०बि०पा०डि०क०लि०-04/2014 के पृष्ठ संख्या-27/टि० पर दिनांक-22.02.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०2/सा०बि०पा०डि०क०लि०-04/2014

दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०2/सा०बि०पा०डि०क०लि०-04/2014 618

दिनांक-27/02/2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।